

## INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL\*

(SUBSTITUTION OF SECTION 153 A)

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI (Chandni Chowk) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code."

*The motion was adopted.*

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI : I introduce the Bill.

15.35 hrs.

## FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL - Contd.

(BY PROF S. L. SAXENA)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Bill moved by Shri Shibban Lal Saxena. Altogether 4 hours and 30 minutes were allotted. We have taken 3 hours and 18 minutes and 1 hour and 22 minutes remain.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : There was a statement issued by the Home Ministry regarding certain allowances and other things to be paid to freedom fighters. Before we take up consideration of this Bill, it will be better if the Home Minister makes a statement about that. Then, it will be easier for us to consider the whole thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are already in the stage of consideration. The

Minister will reply to the debate. At that time if he comes forward with some statement, he is welcome.

श्री भूलचन्द्र डागा (पाली) : उपाध्यक्ष, महोदय, आज जब सब दलों ने मिल कर एक बात कही कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का आदर करना चाहिये तब पच्चीस साल के बाद इस सरकार ने एक योजना निकाली। सब पार्टियों ने मिल कर कहा कि उन का आदर तो करना ही चाहिये साथ ही उन को कुछ आनरेरियम भी मिलना चाहिये। लेकिन इतने दिन तक कहने के बाद अब मंत्री महोदय ने यह योजना निकाली है कि।

"The Government of India will implement from 15th August, 1972 the scheme for grant of pension in deserving cases to those freedom fighters who had suffered imprisonment in jail for six months."

इसका मतलब यह हुआ कि जो छः महीने से एक दिन भी कम की सजा में जेल गया हो उस को यह पेंशन नहीं मिलेगी। मैं इस बात को बिल्कुल समझ नहीं सका कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है। यह किसको पेंशन देना चाहती है और किस को नहीं देना चाहती। फिर स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का आदर करना तो अलग रहा, सरकार ने उन के लिये पेंशन शब्द का उपयोग किया है। हम ने बार बार कहा कि सरकार इस शब्द को वापस ले, लेकिन उस के बाद भी उस ने यही कहा कि उन लोगों को पेंशन दी जाती है। मैं समझता हूँ कि उन को जो कुछ भी दिया जाये उसको आनरेरियम कहना चाहिये और स्वतन्त्रता सेनानियों का आदर-सम्मान करना चाहिये। उन की तो आरती उतारनी चाहिये थी, लेकिन आज आरती उन लोगों की उतारी जाती है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं।